



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122021-232116  
CG-DL-E-24122021-232116

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5001]  
No. 5001]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 2021/पौष 3, 1943  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 2021/PAUSA 3, 1943

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5392(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) के उप-खंड (iiक) तथा धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्यक का.आ. 2957(अ) तारीख 31 अगस्त 2020, द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित वित्तीय उत्पादों को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में ऐसी प्रतिभूतियों के निर्गम और व्यापार के संबंध में प्रतिभूतियों के रूप में घोषित करती है, अर्थात्:-

- (i) बुलियन हाजिर सौदा संविदा; और
- (ii) अंतर्निहित बुलियन के साथ बुलियन निपेक्षागार प्राप्ति ।

[फा. सं. 1/16/एसएम/2021]

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th December, 2021

**S.O. 5392(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iia) of clause (h) of section 2 and sub-section (2) of Section 18 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby declares the following financial products notified by the Government of India in the Ministry of Finance *vide* notification number S.O. 2957 (E), dated the 31<sup>st</sup> August, 2020, as securities for the purpose of the said Act, in respect of issuance and trading of such securities in an International Financial Services Centre under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), namely:-

- (i) bullion spot delivery contract; *and*
- (ii) bullion depository receipt with underlying bullion.

[F. No. 1/16/SM/2021]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.